भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा खुलक बोर्ड

अधिसूचना सं 20/2021-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

साक.नि....(अ).- सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पररषद की नसफाररशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2018-केंद्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे साक.नि. 53(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, पथा:-

उक्त अधिसूचना में चौथे पररंतक के बाद निम्नलिखित पररंतक को अंत : स्थापित किया जाएगा, पथा:-

"पररंत यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्रत्येक जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विनियम नियंत्र तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधिलक्षण किया जाएगा, अर्थात:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमांक (1)</th>
<th>रजिस्त्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)</th>
<th>राशि (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है</td>
<td>दो सौ पवार रुपये</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवत 1.5 करोड़ रुपये तक, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा</td>
<td>एक हजार रुपये</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवत 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा</td>
<td>दो दस्तावेज सौ रुपये</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 04/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.नि. 53(अ).दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 53/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।